<u>प्रेस नोट दिनाँक-03.03.2023</u>

(1). आज दिनाँक-03.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(2). आज दिनाँक-03.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त बच्चा सिंह ठाकुर पुत्र स्व0 बाबूलाल निवासी दहिनी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह थाना भरतकूप
2. आरक्षी मोहम्मद इरफान

(4). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवँ बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 अभियुक्तों के कब्जे से 90 लीटर कच्ची व 85 क्वार्टर देशी शराब, शराब बनाने के उपकरण व अवैध लहन को बरामद किया गया।

(i). उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बाबूजी बसोर पुत्र छोटेलालनिवासी अकौरी मकान नं0 163 थाना जवा रीवा म0प्र0 को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त देवानन्द पुत्र भइयालाल निवासी तुर्गवा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लालजी पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी शेषासुभकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता तेरसिया पत्नी भैयालाल निवासी शेषासुभकरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री बल्देव सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता देवराज उर्फ लल्लू पटेल पुत्र रामप्रताप निवासी माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियनम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राममनोहर वर्मा पुत्र लखनलाल निवासी दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवमंगल निषाद पुत्र भवानीदीन निवासी पंचा का पुरवा मजरा खोपा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता विमला देवी पत्नी केशन निषाद निवासिनी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया एवं बरामदशुदा 150 किग्रा0 लहन को नष्ट किया गया। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

***(ix).** चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रज्जू पुत्र दशरथ निवासी बिसण्डा थाना बिसण्डा जनपद बांदा हाल निवासी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 32 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(x). थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार थाना मारकुंडी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र मवासी पुत्र राममिलन मवासी नि0 ग्राम पड़ो पोस्ट झरी थाना मझगंवा सतना म0प्र0 को 15 क्वार्टर ठेके की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुंडी में धारा 60 आबकारी अधीनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). चित्रकूट पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप महिला सम्बन्धी अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा फास्ट ट्रैक ट्रायल कर आरोपियों को सजा सुनायी गयी
अपराध होने के 62 दिन के अन्दर 02 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा महिला सम्बन्धी कुछ विशेष प्रकरणों को चिन्हित कर फास्ट ट्रायल कर आरोपियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विवेचक क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 16 दिन में चार्जशीट प्रेषित की गयी थी एवं थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद चित्रकूट श्री ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त मुकदमें में विशेष रूचि लेकर किये गये पर्यवेक्षण एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनंद एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेजप्रताप द्वारा विशेष रूप से रूचि लेकर की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप श्री संजय के0 लाल विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2023 धारा 354,354(घ),324/34,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. अवनीश कुमार पटेल उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल निवासी गहोरा खास रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. दीन दयाल पटेल उर्फ दिन्नू पुत्र कमलेश कुमार पुजारी निवासी गहोरा खास थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष कारावास व 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस तरह से चित्रकूट पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त प्रकरण में फास्ट ट्रायल के माध्यम से 28 दिन के अन्दर सजा दिलायी गयी।

इसी क्रम में आगे भी इसी तरह से संवेदनशील प्रकरणों में फास्ट ट्रायल कर ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने प्रयास किया जायेगा जिससे अपराधियों में भय बना रहे।

<u>*घटना का विवरण:-*</u>

दिनाँक-01.01.2023 को थाना रैपुरा अंतर्गत दोपहर 12 बजे पीड़िता अपने बड़े पापा की लड़की के साथ गुंता बांध की ओर खेत मे चने का साग तोड़ने जा रही थी। सूनसान जगह देखकर अवनीश उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल व दिन्नू उर्फ दीनदयाल पुत्र पुजारी निवासीगण गहोरा खास रैपुरा पीछे से मोटरसाइकिल से आए और उपरोक्त दोनों आरोपी घसीट कर खेत में ले गये और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे जिसमें अवनीश ने उसके गाल में दांत से काट लिया जिसके निशान मौजूद थे। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन भागकर घर पहुंची और उपरोक्त घटना की सूचना मां को दी। कुछ देर बाद उसकी मां आयी तो उपरोक्त आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों से गाली एवं

धमकी देते हुए भाग गये थे। जिसके सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर दिनाँक-01.01.2023 को ही थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 02/2023 धारा 354,354(घ),324/34,504,506 भादवि0 व 7/8 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. अवनीश उर्फ शंकर दादा पुत्र केशव प्रसाद पटेल व 2. दिन्नू उर्फ दीनदयाल पुत्र पुजारी पंजीकृत किया गया था। विवेचक क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए 16 दिन में चार्जशीट प्रेषित की गयी थी जिसके उपरांत 28 दिन माननीय न्यायालय में ट्रायल चला एवं 28 दिन के अन्दर दोनों आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास एवं 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनाँक-03.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव मय टीम के कर्वी शहर के ट्राफिक चौराहा पर 02/04 पहिया एवं ई-रिक्शा/टैम्पो वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को बताया गया कि सवारी चढ़ाते एवं उतारते समय सावधानी बरतें तथा सड़क किनारे खड़ा कर सवारी बैठालें। टीएसआई द्वारा ई-रिक्शा एवं टैम्पो चालकों को हिदायत दी गयी कि ओवरलोड सवारी न बैठाये एवं गाड़ी में लाउड स्पीकर बिल्कुल न लगाये तेज गति से वाहन न चलाए एवं पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। इस वाहन चेकिंग में प्रतिबंधित स्थान पर गाड़ी खड़ी करना, ओवरलोड, एवं ई-रिक्शा/टैम्पो में लाउड स्पीकर लगाए पाए जाने पर कुल 07 वाहनों को 207 MV Act के तहत सीज किया गया, जिसमें 05 ई रिक्शा एवं 02 ऑटो सम्मिलित है। इस दौरान 18 ई-रिक्शा एवं ऑटो का पेण्डिंग ई-चालान किया गया।

यातायात पुलिस टीम में उ0नि0(यातायात) श्री शैलेन्द्र सिंह एवं उ0नि0(यातायात) तैय्यब खां, आरक्षी यातायात मदन कुमार, आरक्षी यातायात जागेश्वर राजपूत, आरक्षी यातायात आशाराम वर्मा रहे।

(7). आज दिनाँक-03.03.2023 को होली एवं शब ए बारात त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र एवं थाना राजापुर पुलिस बल द्वारा कस्बा राजापुर में एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं थाना पुलिस बल द्वारा कस्बा मऊ में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया एवं आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से आपसी भाई-चारे के साथ मनाने की अपील की।

(8). आज दिनाँक-03.03.2023 को होली एवं शब ए बारात त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र एवं थाना राजापुर पुलिस बल द्वारा कस्बा राजापुर में एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं थाना पुलिस बल द्वारा कस्बा मऊ में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल द्वारा

दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया एवं आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से आपसी भाई-चारे के साथ मनाने की अपील की।